पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 358/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 12.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 10.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना – अहरौला: किशोरी का अपरहण करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का पूर्व विवरण-

दिनांक 06/12/2024 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 04.12.2024 वादिनी की लड़की उम्र करीब 17 वर्ष को विपक्षी गोविन्द पुत्र रामफेर शादी करने के लिए भगा ले गया जानकारी मिलने पर वादिनी व परिवार के लोग पूछने जाने पर भद्दी भद्दी गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए मारपीट की गयी, के सम्बन्ध मे थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 506/2024 धारा 137(2)/87/115(2)/352/351(2)/3(5) बीएनएस दिनांक घटना 04.12.2024 व समय अ0त0 बजे घटनास्थल बदह ग्राम झगड़ा पाकड़ बनाम 1. रामफेर पुत्र अज्ञात,2. रामफेर की पत्नी 3. गुड्डू पुत्र रामफेर 4.गुड्डू की पत्नी 5. रामफेर की पुत्रिया समस्त निवासी ग्राम झगड़ा पाकड़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध बतफ्तीसी उ0नि0 श्री राकेश कुमार तिवारी के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 10.12.2024 उ0नि0 गोविन्द राजभर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्द राजभर पुत्र श्रीरामफेर निवासी झगड़ा पाकड़ थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ गौरी पुलिया सड़क किनारे से समय 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

प्रदेश में महिला अपराध की घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए महिला बीट प्रणाली का सुदृढ़ीकरण शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। महिला बीट प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए थानों में नियुक्त महिला बीट पुलिस कर्मियों का उनकी बीट में नियमित भ्रमण एवं बीट भ्रमण के दौरान निर्दिष्ट कार्यों का समयबद्ध सम्पादन कराये जाने महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु महिला बीट पुलिस कर्मियों के समुचित सदुपयोग एवं उनके द्वारा महिला बीट के सन्दर्भ में की जाने वाली कार्यवाही व उनकी मॉनिटरिंग करते हुए कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी आदेश महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ द्वारा निर्गत किये गये हैं।

महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल द्वारा आज दिनांक-10.12.2024 को पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं महिला बीट पुलिस अधिकारियों की गोष्ठी कर उन्हें महिलाओं के सुरक्षा,सम्मान व स्वावलम्बन हेतु स्कूल/कालेज, ग्राम/वार्ड में जाकर बीट चौपाल लगाकर छात्र/छात्राओं,महिला/पुरूष को मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-5 के तहत महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं 1. निराश्रित महिला पेंशन योजना 2. निराश्रित विधवा पेंशन योजना 3.जननी सुरक्षा योजना 4.मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 5. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 6. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 7. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 8. मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना 9. दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता 10. महिला पुलिस रात्रि एस्कोर्ट योजना व विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों 1090,1098,1076, 181, 112,102,108 व POSH ACT- 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न' (रोकथाम निषेध और निवारण अधिनिय-2013) Good Touch,Bad Touch के बारे में महिला बीट पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये,जिससे अधिकाधिक महिलाओं व बालिकाओं को लाभ प्राप्त हो सके।